प्राक्कथन

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय वायुसेना के उन मामलों पर जो भारतीय वायुसेना से संबंधित वित्तीय लेन-देन तथा परिचालनात्मक निष्पादन की लेखापरीक्षा से उद्भूत हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना से संबंधित दृष्टांत जो रक्षा मंत्रालय, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्भूत हुए हैं, भी इस प्रतिवेदन का हिस्सा हैं।

प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले, वे हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए तथा वे जो पिछले वर्षों के दौरान ध्यान में आए परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके; वर्ष 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांत, जहाँ आवश्यक थे, भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।